नारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	01/2021 फूलीराम / मुकेश व अन्य	
17.08.2021	अपीलांट की ओर से श्री राजकुमार शर्मा एड० ने प्रार्थना-पत्र शीघ्र सुनवाई मय प्रार्थना-पत्र बाबत अपील वापस लिये जाने पेश करने पर पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट ने अपने प्रार्थना-पत्र के द्वारा प्रकरण में तकनीकी खामी रह जाने व प्रकरण को आगे नहीं चलाने के कारण पुनः नई अपील पेश करने की स्वतंत्रता के साथ अपील विड्रा किये जाने हेतु निवेदन किया गया तो वकील अपीलांट की बहस प्रार्थना-पत्र पर सुनी गई। वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलांट द्वारा प्रार्थना-पत्र बाबत अपील वापस लिये जाने के द्वारा प्रकरण में तकनीकी खामी रह जाने व प्रकरण को आगे नहीं चलाने के कारण पुनः नई अपील पेश करने की स्वतंत्रता के साथ अपील विड्रा किये जाने की अनुमति चाही गई है। अतः पत्रावली के अवलोकन एवं बहस वकील अपीलांट के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत अपील वापस लिये जाने स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट को पुनः नई अपील पेश करने की स्वतंत्रता के साथ अपील विड्रा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। तदनुसार अपील अपीलांट निस्तारित की जाकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लोड भण्डार हो। अधीनस्थ न्यायालय विधिवत सूचित हो। आदेश सुनाया गया। 17/8/2021 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	[illegible]

Scanned by CamScanner

01/2021

Ready Presented Ad. Rajkumar Sharma 30/11/2020

न्यायालय माननीय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,

जयपुर सम्भाग, जयपुर

राजस्व अपील/एल.आर.ए./संख्याः– ---------/2020/जिला दौसा

फैलीराम पुत्र भूराराम, जाति मीना, निवासी ग्राम अरन्या खुर्द, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान।

—अपीलाण्ट (धारा 96 सी.पी.सी.)

–:बनामः–

1. मुकेश पुत्र सांवत्या
2. गिर्राज पुत्र सांवत्या
3. भगवती प्रसाद पुत्र सांवत्या
4. लल्ली पुत्री सांवत्या

समस्त जाति मीना, तथाकथित निवासी ग्राम अरण्याखुर्द, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा हाल निवासी ग्राम सिंगवाड़ा, तहसील लवाणा, जिला दौसा, राजस्थान।

—रेस्पोडेण्ट्स (प्रार्थीगण)

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट,, जिला दौसा, राजस्थान।

रेस्पोडेण्ट (अप्रार्थी)

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–6–2019 बअदालत उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा प्रकरण संख्या निल/2019 बउनवानी निल में पारित किया गया जिसके तहत विवादित भूमि पर काबिज काश्तकार अपीलाण्ट जो कि प्रभावित व पीड़ित पक्षकार है, को प्रकरण में पक्षकार संयोजित किये बिना, अड़ौस–पड़ौस के खातेदारो को पक्षकार संयोजित किये बिना,

Scanned by CamScanner